फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रेमचन्द पिता लालु बंजारा निवासी बालद, ग्राम पंचायत बूल, तहसील भूपालसागर

बनाम

भैरूलाल पिता चांदमल बंजारा, निवासी बालदा, तहसील भूपालसागर वगैरा

प्रकरण संख्या 167/2024 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार बावजूद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 2 भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 3 की तामील शेष है। अधिवक्ता निगराकार ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक विपक्षी संख्या 1 व 3 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है जबकि प्रकरण प्रस्तुत करे हुए लगभग 05 माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा आज बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Web Copy - Not Official